

11 ⁷/₁₉ पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थ
 उपस्थित है। अधिवक्ता अपीलार्थ का
 पूर्व में रई अवकाश दिए जा चुके हैं।
 व 500/- रुपये की कोस्ट पर पत्र
 केवल दिया गया है। व पेश नहीं
 करने पर अवकाश स्वतः समाप्त
 समझा जाने का अर्थ है। अधिवक्ता
 अपीलार्थ की इतर दुआ पर व न्यायक्षि
 में 1000/- रुपये की अधिवक्ता कोस्ट
 पर एक बार कोस्ट अवकाश दिए
 जाये है। पेश नहीं करने पर अवकाश
 स्वतः समाप्त समझा जावे। पत्रावली
 दिनांक 3-10-19 को पेश है।

3 ¹⁰/₁₉ पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी
 निम्नलिखित कार्य अन्तर्गत
 में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना
 में दिनांक 25-11-19 को पेश हो।

25 ¹¹/₁₉ पत्रावली पेश हुई। न्यायालय क्षमप में
 बार-बार आवाने लगावार्ड गर्ड परन्तु
 अपीलार्थ व उन्हे अधिवक्ता कोई उपस्थित
 नहीं है। लीहाजा प्रकल्प अदम-पैन्वी /
 अदम बाजरी में खारीज स्थित जाता है।
 पत्रावली फौजदर थुमार हो कर न्यायालय
 से रमा है। निर्णय खुले न्यायालय
 में हुआ है।



सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्